अपील सूचना अधिकार संख्या 20/2022 (GCMS 2022/66)(आईटीआई पोर्टल नं. 212028689075182) राजकुमार भादू पिता श्री हरिशचन्द्र, राजफोटो स्टेट, तहसील के सामने, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94145–15521) बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वा. रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजकुमार भादू स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह प्रथम अपील उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 438 दिनांक 21.03.2022 से प्राप्त हुई है, जिसमें अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2022 पेश कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वा. रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), अनूपगढ से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, किन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने उसे समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:

> संलग्न पीडीएफ फाईल में जरिये ई–मेल प्रेषित कर फोटोस्टेट बिलों के भुगतान हेतु शिकायत प्रेषित की गई थी जिस पर आज दिनांक तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे आवेदन का [illegible] फोटो स्टेट बिलों का भुगतान लंबित है व जिला [illegible] सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी [illegible] प्रयास नहीं किया [illegible] है। अतः संलग्न शिकायत के [illegible] में पूर्व में प्रेषित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

शिकायत के संदर्भ में आपके कार्यालय द्वारा अमल में लाई गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण मय नोटशीट, ऑर्डर शीट, निर्देश, सम्बन्धित अधिकारीगणों से किए गए पत्राचार सहित समस्त विवरण प्रमाणित रूप से उपलब्ध करावें, ताकि मैं आवेदक भुगतान प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद/कानूनी कार्यवाही कर सकूं। पूर्व में प्रेषित शिकायत इस सूचना अधिकार आवेदन के संलग्न है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, (एसडीएम), —06 अनूपगढ ने अपने पत्रांक चूनाव/आरटीआई/2022/3800 दिनांक 22.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत इस कार्यालय को एक आवेदन पत्र श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के पत्रांक एफ37(03)(08)(आरटीआई)निर्वा/2022/177 दिनांक 28.01.2022 द्वारा स्थानान्तरित किया गया था, जो कार्यालय को 02.02.2022 को प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) घड़साना कार्यालय द्वारा चुनाव संबधी विभिन्न प्रपत्रों इत्यादि के फोटोकॉपी संबधी कार्य के भुगतान हेतु पेश किये गये बिलो पर, भुगतान के संबध में की [illegible] कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां चाही गयी थी [illegible] पत्रांक आरटीआई /181 दिनांक 15.02.2022 द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया (प्रति संलग्न)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के क्रम में श्रीमान्जी से निवेदन है कि संबधित फर्म का भुगतान करने हेतु कार्यालय हाजा के पत्रांक प.6(क)/लेखा/चुनाव /2022/3049 दिनांक 27.01.2022 द्वारा श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर को बजट उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया (प्रति संलग्न)। **जिला मुख्यालय द्वारा संबधित का भुगतान करने हेतु कार्यालय हाजा को दिनांक 23.02.2022 को बजट उपलब्ध करवाया गया था एवं बजट उपलब्ध करवाते ही आवेदक श्री राजकुमार भादू द्वारा कार्यालय में प्रेषित बिलों की कुल राशि 19297/– रूपये का भुगतान,कार्यालय हाजा द्वारा पे–मेनेजर बिल नम्बर 37 दिनांक 23.02.22 द्वारा बिलो के साथ उपलब्ध करवाये गये बैंक खाता संख्या में भुगतान किया जा चुका है** एवं संबंधित को इस बाबत सूचित भी किया चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु पे–मेनेजर बिल की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

-sd-
(प्रियंका तलानिया RAS)
सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(SDM)06–अनूपगढ (अ.जा.)
श्रीगंगानगर

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम), अनूपगढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3800 दिनांक 22.04.2022 से अपील का जवाब उक्तानुसार देते हुए प्रार्थी को भी पत्रांक 181 दिनांक 15.02.2022 से सूचित किया जा चुका है तथा श्री राज[illegible] भादू द्वारा प्रेषित बिलों की कुल राशि 19297/– रूपये का भु[illegible] अधिकारी, अनूपगढ द्वारा किया जा चुका है तथा सूचना का [illegible] अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम), अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम), अनूपगढ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक एफ37(03)(09)RTI निर्वा/2022/438 दिनांक 21.03.2022 के क्रम में निर्णय की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तामील [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 112/2021 (GCMS 2021/181)(आईटीआई पोर्टल नं. 277469134540967) श्री रामचन्द्र पुत्र लालाराम ब्राह्मण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर –335021 बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

31.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पेश कर, एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला रसद अधिकारी से राजहित व जनहित में महत्वपूर्ण सूचना होने के कारण उसे शीघ्र उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 18.09.2021 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. **ग्राम पंचायत खाटां** के चक 33 पीएस में बनवारी लाल पुत्र सजनाराम जाति ब्राह्मण का पुत्र प्रभदयाल वाटरवर्क्स में सरकारी नौकरी 2003 से पहले जोईनिंग होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा सामग्री राशन कार्ड 006519300120 सामाजिक सुरक्षा पेंशन 03698914 वर्ष 2013 से उठाई जा रही है, आदि जांच रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नक[illegible]
2. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible] क्रमांक रसद/खा.सू. यो./21/252-53 [illegible] जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यो[illegible] से अपात्र लोगों के नाम हटाकर उठाए गये राशन का पैसा मय पेनल्टी जमा की प्रमाणित सुदा नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/सू.का.अ./2021/5890 दिनांक 15.10.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया हैः

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्न सूचना चाही हैः

1. ग्राम पंचायत खाटां के चख्क 33 पीएस में बनवारी लाल पुत्र सजनाराम जाति ब्राह्मण का पुत्र प्रभदयाल वाटरवर्क्स में सरकारी नौकरी 2003 से पहले जोईनिंग होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा सामग्री राशन कार्ड 006519300120 सामाजिक सुरक्षा पेंशन 03698914 वर्ष 2013 से उठाई जा रही है, आदि जांच रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नकल अतिशीर्घ
2. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर क्रमांक रसद/खा.सू.यो./21/252–53 दिनांक 27.08.2021 जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों के नाम हटाकर उठाए गये राशन का पैसा मय पेनल्टी जमा की प्रमाणित सुदा नकल

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि **बिन्दु संख्या 01 में चाही गई सूचना इस कार्यालय में जांच प्रकरण में दर्ज नही है तथा बिन्दु संख्या 02 इस कार्यालय से संबंधित नही है।** राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 **की धारा 2 "च"** में सूचना से तात्पर्य किसी भी रूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प022 (13)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नही है। रिट पैटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलस पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

माननीय सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के पत्रांक रासूआ/निर्णय/CIC/SGNG/A/2020/104467 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा आरटीआइ द्वितीय अपील संख्या CIC/SGNG /A/2020/104467 निर्णय दिनांक 16.04.2021 में यह निर्णय पारित किया गया कि— सूचनाओं के सन्दर्भ में अधिनियमानुसार बिन्दुवार, सटीक सूचना/विनिश्चय जो प्रत्यर्थी/लोक प्राधिकारी की पहुंच में अभिलेख पर है" उक्त बिन्दु 01 व 02 में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी की पंहुच में नही है।

अतः माननीय जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अपील सूचना अधिकारी संख्या 80/2020 के द्वारा सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रर्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी को गुंजाईश नही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना या सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नही होनी चाहिए चुंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकारी के तहत नही आता। अतः सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवासना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

इस सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने उक्त पत्र दिनांक 15.10.2021 से बिन्दु संख्या 1 की सूचना उनके कार्यालय में जांच प्रकरण में दर्ज नहीं है और बिन्दु संख्या 02 उनके कार्यालय से सम्बन्धित नही है के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है,** इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या ए[illegible] दिया गया है, वह सही है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा बिन्दु संख्या दो का सम्बन्ध जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से नहीं है, इसलिए अपीलार्थी बिन्दु संख्या दो की सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से चारोजाही कर सूचना प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। साथ ही जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत खाटां के चक 33 पीएस के बनवारी लाल पुत्र सजनाराम जाति ब्राह्मण का पुत्र प्रभदुयाल वाटरवर्क्स में यदि सरकारी नौकरी के बावजूद खाद्य सुरक्षा सामग्री/सामाजिक सुरक्ष पेंशन उठा रहा हो तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे तथा उक्त कार्यवाही को इस प्रकरण से अलग रखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:59 IST
Reason: SelfAttested